न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2018

1 कुन्दनमल पुत्र हरद्वार जाति ब्राहम्ण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये मुख्तयार रामस्वरूप शर्मा दत्तक पुत्र गौरीशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद।
2 मालीराम (मृत)
2/1 कालूराम पुत्र मालीराम।
2/2 अमिषा पुत्री मालीराम नाबालिग।
2/3 मनीषा पुत्री मालीराम नाबालिग जरिये माता श्रीमती सरोज।
2/4 श्रीमती सरोज पत्नी मालीराम।
3 सुरेश पुत्र सुरजा।
4 मोहन पुत्र सुरजा।
5 ममता पुत्री सुरजा।
6 गीता देवी पत्नी सुरजा।
7 लाडा पत्नी छोटू।
8 ओमप्रकाश पुत्र रामूराम।
9 बाबुलाल पुत्र रूघनाथ।
10 सुरजी देवी पत्नी श्रवण।
11 सांवरमल पुत्र श्रवण।
12 पूर्णमल पुत्र श्रवण।
13 श्रवण पुत्र श्रवण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 किरण पुत्री श्रवण।
15 बिमला पुत्री श्रवण।
16 संतोष पुत्री श्रवण।
17 सन्जू पुत्री श्रवण।
18 मोहनी पुत्री श्रवण समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ढ़ाणी खुद तन पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
19 उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
20 पटवारी हल्का पलसाना।
21 नायब तहसीलदार पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
22 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर पीठासीन अधिकारी सूश्री भावना गर्ग आर.ए.एस. दावा संख्या 54/2013 उनवानी ओमप्रकाश बनाम कुन्दनमल आदि दिनांकित 07.04.2017

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री जयप्रकाश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.01.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ओमप्रकाश ने ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 2165,2182,2183 बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 07.04.2017 से प्राथमिक डिक्री जारी की गई। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 01 की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश से दो विचाराधीन मुकदमों को संयोजित कर सहमती से दिनांक 07.04.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई दिनांक 29.06.2017 को आपत्ति पर पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये जो दिनांक 30.10.2017 को प्राप्त हुये विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की शर्तो की पालना नही की गई। खसरा नम्बर 2165 पर हमारा कब्जा काश्त है, जबकि यह भूमि अन्य को दी गई सड़क के दोनों और की भूमि इन्होने ले ली। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार लिखा है जो गलत है। विभाजन प्रस्ताव बिना सुचना के तैयार करवाये गये है। अत अपील स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सहमती से प्राथमिक डिक्री जारी हुई है इसकी अपील पोषणीय नही है। अपीलांट ने अपील मेमों एवं बहस में प्राथमिक डिक्री के सन्दर्भ में कोई कथन नही किया है केवल मात्र विभाजन प्रस्तावों के सन्दर्भ में अपील मेमों एवं बहस में कथन किया है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व इस न्यायालय में अपील नही की जा सकती है। इस हेतु अपीलांट को माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिये थी। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी ओमप्रकाश की और से विवादित भूमि के सन्दर्भ में दावा संख्या 54/2013 एवं 129/2013 प्रस्तुत किये गये थे। दावा संख्या 129/2013 के प्रतिवादी धन्नेसिंह, महेन्द्र सिंह, विनोद कुमार को वादी ओमप्रकाश ने दावा संख्या 54/2013 में पक्षकार संयोजित नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों दावो को समेकित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद यह था कि पक्षकारों में बाहमी विभाजन होकर पक्षकार प्रथक–प्रथक रूप से काबिज काश्त थे। विचारण न्यायालय में दावा संख्या 129/2013 के प्रतिवादी धन्नेसिंह, महेन्द्र सिंह, विनोद कुमार विवादित भूमि में कुन्दनमल से भूमि कय कर उसके फुट स्टेप पर आये है। विचारण न्यायालय ने इनका कोई जवाब अथवा साक्ष्य प्राप्त किये बिना प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। इससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के सभी खातेदारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2020 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर